

## हरति वतितपोषण

### प्रलमिस के लयि:

COP-26 जलवायु शखिर सममेलन, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, जलवायु वतितपोषण के लयि वैश्वकि ढाँचा , क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, वैश्वकि पर्यावरण कोष (GEF)

### मेन्स के लयि:

भारत में जलवायु वतित पोषण की स्थति, जलवायु वतित पोषण, हरति वतित की आवश्यकता और इसका महत्त्व ।

## चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने [COP-26 जलवायु शखिर सममेलन](#) में घोषणा की है कि भारत [वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन](#) स्थति प्राप्त् करेगा ।

- इन जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लयि भारत जैसे देश को अगले दस वर्षों में अतिरिक्त वतितपोषण के लयि **लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की आवश्यकता होगी ।

## प्रमुख बडि:

- परचिय:**
  - ग्रीन फाइनेंसिंग सार्वजनिक, नजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से **सतत् विकास प्राथमकिताओं** के लयि वतितय प्रवाह (बैंकिंग, माइक्रो-क्रेडिट, बीमा और नविश से) के स्तर को बढ़ाने के लयि है ।
  - इसका एक महत्त्वपूर्ण हिससा पर्यावरणीय और **सामाजिक ज़ोखमिों को बेहतर ढंग** से प्रबंधति करना है, ऐसे अवसरों का लाभ उठाना जो प्रतफल की एक अच्छी दर और पर्यावरणीय लाभ के साथ ही अधिक जवाबदेही सुनिश्चति करते हैं ।
- जलवायु (हरति) वतित की आवश्यकता:**
  - ‘प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान’ का सदिधांत (Polluter Pays Principle)**
    - ‘प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान’ का सदिधांत (Polluter Pays Principle)** आमतौर पर स्वीकृत प्रथा है जिसके अनुसार प्रदूषण उत्पन्न करने वालों को मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लयि इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहयि ।
  - सामान्य लेकनि वभिदति उत्तरदायतिव और संबंधति क्षमता (सीबीडीआर-आरसी):**
    - यह जलवायु परिवर्तन को संबोधति करने में अलग-अलग देशों की वभिन्न क्षमताओं और अलग-अलग ज़मिेदारियों को स्वीकार करता है ।
  - अंतरनहिति सदिधांत: वकिसति देश ऐतहासकि रूप से प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक रहे हैं ।**
    - इसलयि उपर्युक्त सदिधांतों के आधार पर वकिसति देश **जलवायु परिवर्तन** से निपटने के लयि प्रौद्योगिकी और वतित प्रदान करने हेतु नैतिक रूप से ज़मिेदार हैं ।
- जलवायु वतितपोषण की स्थति:**
  - वकिसति देशों से अपेक्षति योगदान:** वकिसति देशों से आवश्यक जलवायु वतित वकिसशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लयि प्रतविर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरति करना ।
  - वकिसति देशों द्वारा वास्तवकि योगदान:** वर्ष 2010 में **‘कैनकन समझौतों’** के माध्यम से वकिसति देशों ने वकिसशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लयि वर्ष 2020 तक प्रतविर्ष संयुक्त रूप से 100 बलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य हेतु प्रतबिद्धता ज़ाहरि की थी ।
- हालाँकि **‘गलासगो जलवायु समझौते’** (COP26) ने नोट कयि कि वकिसति देशों की प्रतबिद्धता अभी तक पूरी नहीं हुई है ।
- इस संबंध में **‘COP26’ ने ‘संयुक्त राष्ट्र फरेमवरक कनवेंशन ऑन कलाइमेट चेंज’** (UNFCCC) को वतित पर स्थायी समति से वर्ष 2022 में ऐसे देशों पर एक रपिर्ट तैयार करने का अनुरोध कयि है, जो वकिसशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लयि प्रतविर्ष 100 बलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त् करने की दशिा में प्रगत कर रहे हैं ।

## ■ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग:

- जलवायु वित्त के प्रावधान को सुवर्धित करने के लिए UNFCCC ने विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए वित्तीय तंत्र की स्थापना की है।
  - **क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन कोष:** इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना है, जो विकासशील देशों में संवेदनशील समुदायों की मदद करते हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए **क्योटो प्रोटोकॉल** के पक्षकार हैं।
  - **ग्रीन क्लाइमेट फंड:** यह वर्ष 2010 में स्थापित UNFCCC का वित्तीय तंत्र है।
    - भारत, प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की **पेरिस समझौते** की जलवायु वित्त प्रतबद्धता को पूरा करने के लिए वकिसति देशों पर ज़ोर दे रहा है।
  - **वैश्विक पर्यावरण कोष (GEF):** वर्ष 1994 में कन्वेंशन लागू होने के बाद से 'वैश्विक पर्यावरण कोष' ने वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में कार्य किया है।
    - यह एक नजि इक्विटी फंड है जो जलवायु परिवर्तन के तहत स्वच्छ ऊर्जा में निवेश द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय रटिर्न प्राप्त करने पर केंद्रित है।
    - जीईएफ दो अतिरिक्त फंड, **स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF)** और **कम वकिसति देशों के फंड (LDCF)** का भी रखरखाव करता है।

## भारत में जलवायु वित्तपोषण:

- **घरेलू संसाधनों से वित्तपोषण:** भारत की जलवायु क्रियाओं को अब तक बड़े पैमाने पर घरेलू संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
  - वर्ष 2014 और 2019 के बीच **यूएनएफसीसीसी** द्वारा जारी भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट 2021 के अनुसार **वैश्विक पर्यावरण सुवर्धित** और **हरित जलवायु कोष** ने कुल 165.25 मिलियन यूएसडी का अनुदान प्रदान किया है।
- **हरित वित्तपोषण के लिए धन:** जलवायु परिवर्तन से संबंधित हरित वित्तपोषण प्रमुख रूप से **राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)** और **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफ)** द्वारा जुटाया जाता है।
  - भारत सरकार **जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना** के तहत स्थापित आठ मशिनों के माध्यम से वित्तपोषण भी प्रदान करती है।
  - इसने वित्त मंत्रालय में एक जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (सीसीएफयू) की स्थापना की है, जो सभी जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण मामलों के लिए नोडल एजेंसी है।

## हाल ही में भारत सरकार की पहल:

- **प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना:** सरकार ने 13 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी को लक्षित करते हुए पीएटी योजना शुरू की है।
- **वैदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करना:** सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक **प्रत्यक्ष वैदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति दी है।
- **अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन:**
  - सरकार ने परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारिषद प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिया है।
  - **अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ)** के लिए प्रावधान करना और अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करना।
  - **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मशिन** की घोषणा।
- **भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान:** इसे पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2015 में हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अपनाया गया था, भारत ने निर्धारित लक्ष्यों के साथ **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NCD)** प्रस्तुत किया था:
  - अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करना।
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी वदियुत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
  - वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिक नरिमति करना।

## आगे की राह

- **सहयोग के दायरे का वसितार:** सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ वित्तीय बाजारों, बैंकों, निवेशकों, सूक्ष्म-ऋण संस्थाओं, बीमा कंपनियों में प्रमुख भागीदारों को शामिल करने हेतु बहु-हतिधारक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **समग्र ढाँचा:** नमिनलखित को बढ़ावा देकर हरित वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जा सकता है:
  - देशों के नियामक ढाँचे में बदलाव लाकर।
  - सार्वजनिक वित्तीय प्रोत्साहनों के सामंजस्य से।
  - विभिन्न क्षेत्रों से हरित वित्तपोषण में वृद्धि करके।
  - **सतत विकास लक्ष्यों** के पर्यावरणीय आयाम के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण नरिणय लेने के संरेखण द्वारा
  - स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के निवेश में वृद्धि करके।
  - टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन-आधारित हरित अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु समारट **नीली अर्थव्यवस्था** हेतु वित्तपोषण द्वारा।

- [गरीन बॉण्ड](#) के उपयोग को बढ़ावा देकर ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/green-financing>

